न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

ग्राम पंचायत गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 104 / 12

गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री छगनलाल जाति महाजन निवासी गंदीफली, तहसील लाडपुरा, कोटा (वादी)

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र धूलीचन्द जाति महाजन निवासी गंदीफली, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा कोटा

(प्रतवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक : 30.06.2017

राज्य सरकार की ओर से संचालित न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गन्दीफली के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादीगण की ओर से पेश किये गये वाद पत्र के अनुसार ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा का खसरा नं0 427 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा था। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य उक्त वर्णित आराजी बाबत बटवारा हो जाने के कारण उक्त वर्णित आराजी के पृथक पृथक खाता खोल दिया गया था तथा इन्तकाल नं0 59 दिनांक 30.3.1971 तस्दीक फरमा दिया गया था। इन्तकाल नं0 59 दिनांक 30.3.1971 से वादी के खाते में खसरा नं0 427 की 12 बीघा 4 बिस्वा आराजी आई थी, जिसका नवीन खसरा नं0 482 / 427 राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया था व प्रतिवादी नं0 1 के खाते में खसरा नं0 427 की 12 बीघा आराजी आई थी, जिसका नवीन खसरा नं0 बाद तस्दीक होने उक्त वर्णित इंतकाल के 427 ही अंकित किया गया था। वादी वर्तमान में भी 12 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर काबिज काश्त है। लेकिन दौराने बंदोबस्त वादी की आराजी का रकबा 0.13 हेक्टर कम कर प्रतिवादी नं0 1 के खाते में रकबा बढा कर दर्ज कर दिया है जबकि बंदोबस्त अधिकारी दौराने बंदोबस्त राजस्व रिकार्ड की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिये विधि की मंशा के अनुरूप अधिकृत नहीं हैं। वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु वाद कारण हाल ही में दिनांक 13.8.2012 को अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा वादी की आराजी में दखल करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी नं0 1 के खाते में खसरा नं0 427 से रकबा 0.13 है0 कम करने एवं वादी के खाते में दर्ज करने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने व खातेदार घोषित करने के आशय का तथा प्रतिवादी नं0 1, वादी के कब्जे काश्त की आराजी में दखल अंदाजी न करे, ना ही अपने प्रतिनिधियों से कराये के आशय का आदेश प्रदत्त करने की कृपा करें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो प्रदत्त करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली के अवलोकन अनुसार वादी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये है –

1 ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की नकल जमाबन्दी संवत 202[illegible]–2032 जिसके अनुसार खसरा नम्बर 482 / 427 की 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी गिरि[illegible]ज पुत्र छगनलाल के खाते दर्ज रेकार्ड थी।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर

2 ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का खसरा मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 जिसमें खसरा नम्बर 482/427 के नये खसरा नम्र 659 रकबा 1.58 हैक्टर कायम किये गये।

3 ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की नकल जमाबन्दी संवत 2029–2032 जिसके अनुसार खसरा नम्बर 432 की 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि रामकल्याण, हीरालाल बेटे कन्हैयालाल के खाते दर्ज रेकार्ड थी।

4 ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का खसरा मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 जिसमें खसरा नम्बर 432 के नये खसरा नम्र 663 रकबा 2.84 हैक्टर कायम किये गये।

5 मोजा गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का नक्शा सन् 1956–57 संवत 2013–2014

वादी की ओर से पेश किये गये दस्तावेजात के अवलोकन अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वादी के खाते कुल 12 बीघा 4 बिस्वा आराजी दर्ज रेकार्ड थी जिसके नवीन पद्यति के अनुसार 1.95 हैक्टर होते है जबकि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 482/427 के नये खसरा नम्बर 659 रकबा 1.58 हैक्टर कायम किये गये है। इस प्रकार वादी के खाते दर्ज गत रकबा के मुकाकले 1.95 - 1.58 = 0.37 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है। मोजा गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का नक्शा सन् 1956–57 संवत 2013–2014 के अनुसार गत खसरा नम्बर 427 एवं 432 एक दूसरे के निकटस्थ अडवा है। जिससे, इसी प्रकार ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की नकल जमाबन्दी संवत 2029–2032 के अनुसार खसरा नम्बर 432 की 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि रामकल्याण, हीरालाल बेटे कन्हैयालाल, जाति गूजर, बासगांव के खाते दर्ज रेकार्ड थी जिसके नवीन पद्यति के अनुसार 2.29 हैक्टर होते है जबकि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 432 के नये खसरा नम्बर 663 एवं 708/663 रकबा क्रमशः 1.42 व 1.42 अर्थात 2.84 हैक्टर कायम किये गये है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 432 के खातेदार के खाते दर्ज गत रकबा के मुकाकले 2.84 - 2.29 = 0.55 हैक्टर रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त रकबा का विभाजन हो जाने से रामकल्याण व हीरालाल के वारिसान प्रत्येक के खाते 1.42 हैक्टर भूमि दर्ज की गई है। उक्त परिस्थितियों के अनुसार वादी के खाते से उसके हिस्से की गत आराजी से रकबा कम दर्ज किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 659 के निकट स्थित अडवा हिस्से से खसरा नम्बर 663 एवं 708/663 के कुल रकबा में से संयुक्त रूप से 0.37 हैक्टर कम की जाकर खसरा नम्बर 663 एवं 708/663 का रकबा 2.47 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा इसी ग्राम के मौके व कब्जे की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 659 का रकबा 1.95 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा तदनुसार मौके व कब्जानुसार नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.06.2017 को ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
न्याय आपके द्वार–2017
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–गन्दीफली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

ग्राम पंचायत गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 104 / 12

गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री छगनलाल जाति महाजन निवासी गंदीफली, तहसील लाडपुरा, कोटा
(वादी)

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र धूलीचन्द जाति महाजन निवासी गंदीफली, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा कोटा

(प्रतवादीगण)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 104 / 12
निर्णय दिनांक : 30.06.2017

न्याय आपके द्वार–2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गनदीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 30–06–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 659 के निकट स्थित अडवा हिस्से से खसरा नम्बर 663 एवं 708 / 663 के कुल रकबा में से संयुक्त रूप से 0.37 हैक्टर कम की जाकर खसरा नम्बर 663 एवं 708 / 663 का रकबा 2.47 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा इसी ग्राम के मौके व कब्जे की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 659 का रकबा 1.95 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा तदनुसार मौके व कब्जानुसार नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 30.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहनलाल प्रतिहार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर
कैम्प

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	